# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

**प्रार्थी :– श्री चम्पालाल जाट** **बनाम** **विपक्षी :– श्री चेना वगैरह**

**किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ.** **पत्रावली संख्या : 173/17**

**जीसीएमएस : 2017/00013**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण |
|---|---|

दिनांक : 21.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकतरफा बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि संवत 2015 में उनके मौरूस केला पिता दोला जाट के नाम पर दर्ज थी। परन्तु सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम खरताणा की भू–प्रबंध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2022 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 1283 के साबिक आराजी नम्बर 1023 मीन अंकित है। जिसके कॉलम संख्या 23 व 24 में कृषक गत भू माप एवं वर्तमान भू माप में विपक्षी संख्या 1 ही नाम दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम लगभग 58 वर्ष से खातेदारी अधिकार से चली आ रही है। इस कारण से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत नही होता है। ना ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि का विक्रय किया हो विक्रय करने का प्रयास किया हो। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:13:56 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली